न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 13 / 2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जमा पुत्र पुरा 2. खगार पुत्र पुरा 3. तैया पुत्र पुरा 4. दायम पुत्र पुरा 5. सावण पुत्र पुरा जाति मुसलमान, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 रहीम पुत्र नागोदर 2 आरबखान पुत्र मिश्रीखान 3 गाजीखान पुत्र मिश्रीखान 4 नूरमोहम्मद पुत्र ईसाखान 5 नागीया पुत्र स्वरूपा 6 रईसखान पुत्र ईसाखान 7 सरसों पत्नी ईसाखान 8 आसीयत पत्नी मलूक 9 मुरीब पुत्र मलूक 10 मेहराण पुत्र मलूक 11 मीरखान पुत्र मलूक 12 मोयबअली पुत्र मोहम्मद रहीम 13 मोहम्मद रहीम पुत्र लतीफ जाति मुसलमान, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 14 अशोककुमार पुत्र श्रीराम जाति खत्री, निवासी विश्नोई धर्मशाला के पास, सांचौर तहसील सांचोर, जिला बाड़मेर 15 ईश्वरसिंह राठौड़ पुत्र मेहताबसिंह जाति राजपुत, निवासी राणेजी की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 16 केशाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट, निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर 17 किरणकंवर पत्नी छगनसिंह जाति राजपुत, निवासी भीयाड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 18 दीपक खत्री पुत्र मुरलीधर जाति खत्री, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 19 मोहनकंवर पत्नी मांगसिंह 20 शैतानसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुत, निवासी आकली तहसील शिव, जिला बाड़मेर 21 लीलाकंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 22 भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव 23 तहसीलदार शिव 24 उगमसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 25 मूलसिंह पुत्र चुतरसिंह जाति राजपुत, निवासी दामा तहसील गडरारोड, जिला बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री अभयसिंह राठौड।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 21.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 62 रकबा 10.5542 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत मे आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 232 / 64, 63, 64 रकबा क्रमश 0.9712, 8.6279, 13.5974 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

खातेदारी भूमि मे काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे डामर सडक से जुडने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत मे आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद किया जा चुका है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 8.6279 हैक्टेयर में से रकबा 0.0520 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 21, 24 व 25 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 13.5974 हैक्टेयर में से रकबा 0.1140 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 232/64 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से रकबा 0.0629 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 190 गट्ठा है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए उनकी खातेदारी का छोटा टुकडा होने का कथन करते हुए अन्य विकल्प से रास्ता निकालने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 8.6279 हैक्टेयर में से रकबा 0.0520 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 21, 24 व 25 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 13.5974 हैक्टेयर में से रकबा 0.1140 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 232/64 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से रकबा 0.0629 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 190 गट्ठा है। विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए उनकी खातेदारी का छोटा टुकड़ा होने का कथन करते हुए अन्य विकल्प से रास्ता निकालने का निवेदन किया गया, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य निकटतम विकल्प उपलब्ध हो। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है तथा सीधे रास्ते में विप्रार्थी संख्या 1 रहवासी घर आ जाने के कारण रास्ता सेढे से मोड़ा गया है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नही होना दर्शाया गया है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम एव सुगम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने मे कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 62 रकबा 10.5542 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 8.6279 हैक्टेयर में से रकबा 0.0520 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 21, 24 व 25 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 13.5974 हैक्टेयर में से रकबा 0.1140 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 232/64 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से रकबा 0.0629 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव